Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 14-2026] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 7 अप्रैल, 2026
(17 चैत्र, 1948 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 8/के०अ० 16/1927/धा० 29/2026, दिनांक 3 अप्रैल, 2026 – अनुसूची में वर्णित जिला भिवानी, तहसील सिवानी की भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने बारे।	51–52
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 9/के०अ० 16/1927/धा० 30/2026, दिनांक 3 अप्रैल, 2026 – अनुसूची में वर्णित जिला भिवानी, तहसील सिवानी की भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित भूमि पर खड़े तथा उगाए गए वृक्षों आदि को आरक्षित घोषित करने बारे।	53–54
	3. अधिसूचना संख्या का०आ० 10/के०अ० 16/1927/धा० 32/2026, दिनांक 3 अप्रैल, 2026 – अनुसूची में वर्णित जिला भिवानी, तहसील सिवानी की भूमि पर लागू होने वाले नियम बनाने बारे।	55–56
भाग IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग-III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 अप्रैल, 2026

संख्या का०आ० 8/के०अ० 16/1927/धा० 29/2026.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 29 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करते हैं, जिस पर उक्त अधिनियम के अध्याय IV के उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात्:–

अनुसूची

क्रम संख्या	जिला	तहसील	गांव व हदबस्त नं०	क्षेत्र का विवरण		क्षेत्रफल एकड़ों में
				आयत संख्या	किला नं०	
1	भिवानी	सिवानी	कालोद हदबस्त नं० 115	150	05	02 एकड़, 06 कनाल, 12 मरले
				151	01	
				202	06/1 15/2 16/1	
				203	11/1 20/2/1	

सुधीर राजपाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE DEPARTMENT

Notification

The 3rd April, 2026

No. S.O. 8/C.A. 16/1927/S. 29/2026.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (2) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927), the Governor of Haryana hereby declares the land described in the Schedule given below to be protected forests, to which the provisions of Chapter IV of the said Act shall be applicable, namely:-

SCHEDULE

Serial Number	**District**	**Tehsil**	**Village with Hadbast No.**	**Description of field**		**Total Area (in Acres)**
				Khasra / Rectangle No.	**Killa No.**	
1	Bhiwani	Siwani	Kalod Hadbast No. 115	150	05	02 Acre 06 Kanal 12 Marla
				151	01	
				202	06/1 15/2 16/1	
				203	11/1 20/2/1	

SUDHIR RAJPAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Environment, Forests and Wildlife Department.

12517—C.S.—H.G.P., Pkl.